

166 40170
18-6-18

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

याचालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कारखिया

-:आदेश:-

पार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कारखिया व भूअ.नि. सोनई की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सेना नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की नमायन्दी सम्वत में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि के अशुद्ध रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
कारखिया	90	राज्याधिकार कारखिया	राज्याधिकार उभाधिकार कारखिया
हनुमानपुरा	18	राज्याधिकार जम पाव सिमाओं की दागी के पास जेतानिमा की दागी	राज्याधिकार सिमाओं की दागी के पास जेतानिमा की दागी
पाबुखेरी	97, 98	राज्याधिकार पाबुखेरी राज्याधिकार पाबुखेरी	राज्याधिकार पाबुखेरी
आला	196	राज्याधिकार आला की दागी	राज्याधिकार आला की दागी
आला	197	राज्याधिकार आला की दागी	राज्याधिकार आला की दागी
	198	राज्याधिकार आला की दागी	राज्याधिकार आला की दागी



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अदालत
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक -

क लेखि -

तहसीलदार सेना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
पार्थी श्री को सूचनार्थ।
रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर.